

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या- — /XXXVI(1)/2016-184/2001-टी0सी0-IV

देहरादून: दिनांक: ०२ मई, 2016

अधिसूचना

नियुक्ति

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 8(4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से सुश्री रीना नेगी, सिविल जज (सी०डि०)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा को विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- — (1)/XXXVI(1)/2016-184/2001-टी0सी0-IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव

संख्या- 219 (2)/XXXVI(1)/2016-184/2001-टी0सी0-IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. सुश्री रीना नेगी, सिविल जज (सी०डि०)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा।
7. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
9. कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव